

मालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर, जिला श्री गंगानगर

बनाम.....  
अन्तर्गत धारा.....

आदेश या कार्यवाही मय हस्ताक्षर जत्र

नम्बर एवं दिनांक  
जो इस आदेश की  
पालना में जारी हुए

उपरि अधिवक्तागण उपस्थिता निगमि  
अलग से लिखवाया जाकर  
सुनाया गया। वादी का वादपुत्र  
भली-भांति साबित नहीं होने  
पर खारिज किया जाता है।  
निगमि अनुसार पचास डिग्री  
जारी हो। पत्रावली निगमि  
होकर गम्बर से कम होकर  
वारिदल पत्र हो।

*(Signature)*

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
श्री करणपुर

